तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थिया अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर प्रकरण निस्तारण इस प्रकार किया जाता है संक्षेप में निर्णय इस प्रकार है कि – **प्रार्थना पत्र सं– 45/2022** **बउनवान गुलाब बाई बनाम रामपाल वगै0** **दायरा दिनांक– 12.07.2022** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट** **निर्णय** संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या नयी 6 पुरानी 9 के खसरा संख्या 99 रकबा 0.32है0 वाके ग्राम शिवगंज पटवार हल्का नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम अंकित चली आ रही है जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषिभूमि खसरा संख्या 99 के उत्तर दिशा व पश्चिम दिशा में आम रास्ता गडार है प्रार्थिया की कृषि भूमि पर उत्तर पश्चिम दिशा के कोने पर करीब 30 गुणा 30 वर्ग फीट भूखण्ड पर जबरन अप्रार्थिगण 1 ता 5 ने दिनांक 20.06.2022 को जबरन नींव खोद कर मकान निर्माण करने की कोशिश की है जिसकी जानकारी प्रार्थिया को होने पर मौके पर जाकर अप्रार्थिगण को रोका तो अप्रार्थिगण गाली गलौच करने लगे प्रार्थिया ने भाग अपनी जान बचाई जिसकी प्रार्थिया ने पुलिस थाना इन्द्रगढ़ को दिनांक 20.06.2022 को हाजिर होकर रिपोर्ट पेश की। अप्रार्थिगण वाद विषयक कृषि भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने एवं प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी आये दिन देते रहते है यही वाद का कारण है। उक्त वाद विषयक कृषि भूमि पर अप्रार्थिगण का कोई लेना देना नहीं है वे ताकत के बल पर प्रार्थिया की कृषि भूमि हडपना चाहते है व मकान बना कर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका अप्रार्थिगण 1 ता 5 को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थिया ने अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र का स्वीकार कर अप्रार्थिगण 1 ता 5 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी सं 2,3,6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनकी विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी सं 1,4,5 को प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने हेतु बार–बार अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब बंदी कर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रार्थिया अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थिया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि प्रार्थिया वाद विषयक कृषि भूमि की रिकॉडेड खातेदार है अप्रार्थिगण 1 ता 5 का उक्त भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थिगण 1 ता 5 जबरन ताकत के बल पर प्रार्थिया की कृषि भूमि पर कब्जा कर मकान बनाने में कामयाब होते है तो प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी सूरत में नहीं की जा सकेगी अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थिगण 1 ता 5 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हमने प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को घ्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर बनन किया गया। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज का अवलोकन किया। पत्रावली में उपस्थित जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या नयी 6 पुरानी 9 के खसरा संख्या 99 रकबा 0.32है0 वाके ग्राम शिवगंज पटवार हल्का नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ में प्रार्थिया गुलाब पुत्री शंकर जाति बैरवा सा0 पापडी का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2075–77 में प्रार्थिया का कब्जा काश्त होना पाया गया। अप्रार्थिगण 1 ता 5 अजनबी व्यक्ति हैं जिसका वर्णित आराजी में कोई हक अधिकार निहित नहीं है। यदि अप्रार्थिगण 1 ता 5 द्वारा वाद वर्णित आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया गया तो प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति कारित होना स्वभाविक है। प्राथमिक दृष्ट्या सुविधा का सन्तुलन का भार व अपूर्णीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ता फैसला मूल वाद तक वाद विषयक कृषि भूमि खाता संख्या नयी 6 पुरानी 9 के खसरा संख्या 99 रकबा 0.32है0 वाके ग्राम शिवगंज पटवार हल्का नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पर अप्रार्थिगण 1 ता 5 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थिया की उक्त खातेदारी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण इत्यादि कर काश्त व्यवस्था में दखलअंदाजी नही करें न स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)